



मर्मानी का

राजस्थान विश्वविद्यालय

१५/०१/२१

१५/०१/२१

All VPS / CMHSC / Panchayat
2-86 पर्सनल सेक्रेटरी
2- स्टोर बुकिंग
for record
दिनांक: १५/०१/२०२१

क्रमांक: एफ-९ / सा.प्र. / २०२१ / ४५-१३९

दिनांक: १५/०१/२०२१

- समस्त विभागाध्यक्ष/ईकाई प्रभारी, शैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
- समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्र/केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि., जयपुर।
- मुख्य आवासाधिकारी, छात्र/छात्रा/समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।

विषय:-शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2021 की अनुपालना में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक:-पे-13(7)शिक्षा-4/2014 पाठ दिनांक 07.01.2021 एवं गृह विभाग द्वारा जारी आदेश एफ-7 1(2) ()राज्य/सान्याहिति/20/3913 दिनांक:-12/01/2021 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने एवं नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ करने हेतु संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों की पालना करते हुए शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने का श्रम करें।

संलग्न :- उपरोक्त पत्रों की प्रतिलिपि

भवदीय,
१५/०१/२०२१
(क.एम. दूड़िया)
कुलसचिव

URGEN!

DR

राजस्थान सरकार
शिक्षा (युप-4) विभाग

Putip

08/01/20

क्रमांक: प. 3 (7) / शिक्षा-4 / 2014 पाठे

जयपुर, दिनांक: 07.01.2021

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलसचिव, महाराजा राम सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, राज व्रथि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सौकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सुरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलसचिव, हरिहरेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
16. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
17. कुलसचिवगण, समस्त डॉक्टर विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषय : शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु दिशा-निर्देश।

महादय,

उपर्युक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2021 की प्रति पालनार्थ संलग्न कर प्रसिद्धि है।

अतः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में गृह विभाग के उपरोक्त आदेशानुसार नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यता पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी।

विश्वविद्यालय खोले जाने से पूर्व की जाने वाली व्यवस्था:-

1. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थानों खोलने से पहले संपूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोईघर, बाशरूम, कैन्टीन, प्रयोगशाला इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित / Sanitizer कराया जावे।
2. कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहे यह सुनिश्चित किया जावे।
3. हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हो।
4. थर्मल स्कॉनिंग / कीटाणुनाशक / Sanitizer / साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।



5. विश्वविद्यालयों/ उच्च शिक्षण संस्थाएं में आवागमन हेतु परिवहन के समर्थन साधन सेनेटाइज़ हों।
6. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं के खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि विधार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठक की दूरी 6 फीट रखी जावें। स्टाफ लम्, कार्यालय एवं परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावें।
7. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं का यह दायित्व होगा कि वह विधार्थियों, अभिभावकों, स्टॉफ को कोरोना वायरस (कोविड-19) संबंधी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक करें।
8. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मास्क संबंधी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
9. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध हो।
10. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं को खोले जाने से पूर्व रिसेप्शन, पानी पीने के स्थान, हाथ धोने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (Marking circle) किया जावें। विश्वविद्यालय खोले जाने से पूर्व अभिभावकों की सहमति प्राप्त की जावें।
11. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं का यह दायित्व होगा वह पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ/ नर्स एवं विकित्सक की संपूर्ण अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
12. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि कोचिंग समय में कसी की जा सके।
13. एक कदा से दूसरी कक्षा के मध्य कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखा जाना चाहिए, ताकि दोनों बैचों के छात्र एक साथ एकत्रित न हो सके।
14. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि एक कक्षा की समाप्ति उपरांत एवं दूसरी कक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित कक्षों को सेनेटाइज़ कराया जावे।

विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थानों के खोले जाने पर दिशा—निर्देशः—

1. मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे एवं विधार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो।
2. अध्ययन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "NO Mask No Entry" की पालना आवश्यक है।
3. सेनेटाइजेशन एवं तापमान की जांच करने के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित हो।
4. गार्ड कैचिन में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जावे एवं प्रत्येक शिफ्ट के गार्ड नियमित रूप से हाथ धोने/सेनेटाइजेशन का ध्यान रखें।
5. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाइज किया जावे।
6. प्रमुख द्वार पर किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नहीं की जावे।
7. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाएं में आने वाले सामान को बिना सेनेटाइजेशन के आने की अनुमति नहीं हो।
8. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दड कार्रित किया जावे।
9. यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी विद्यार्थी एवं फैकल्टी मेंबर्स ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, वो छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोएं एवं सेनेटाइजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें।
10. कोविड-19 विधा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में कैनरों की व्यवस्था की जावे।

11. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाए अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं रखयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे।

12. विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान आवश्यक द्वाने पर एन्डूलेन्स की व्यवस्था करवायेगे।

कक्षाओं में अध्ययन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां:-

- विद्यार्थियों की एंट्री व एकिंघट के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे।
- कक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर जाने के समय सेनेटाईजर/साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे।
- विद्यार्थियों के चेहरों पर भास्क (NO Mask No Entry) व रखयं पानी की बोतल लाना भुनिश्वत किया जावे।
- किसी विद्यार्थी द्वारा भास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा भास्क उपलब्ध कराना भुनिश्वत किया जावे।
- प्रत्येक फ्लोर पर कंजासरूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह भुनिश्वत रहे।
- कैटीन स्टाफ एवं कैटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे।
- फुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हेंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि को बार-बार उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।
- प्रतिदिन सभी छात्रों का तापमान मापने एवं सेनेटाईजेशन के उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।
- विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
- आमातकालीन स्थिति में तुरन्त डिकिट्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे।
- विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाए में अध्ययन के दौरान किसी विद्यार्थी में कोविड-19 के हेतु रेफर/भर्ती किया जावे, जिसका व्यव विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जावे।

विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित हॉस्टल में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाएः-

- एक कमरे में एक विद्यार्थी के ही रुकने की व्यवस्था भुनिश्वत की जावे।
- जिन बड़े कक्षों में एक से अधिक विद्यार्थियों के रुकने की व्यवस्था है, उनमें अस्थाई पार्टीशन की व्यवस्था कर तिगल रूप में परिवर्तित किया जावे।
- विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी संधारित की जावे।
- हॉस्टल में उन्हीं बच्चों को प्रायमिकता से लिया जावे जिनके स्थानीय निवास न हों एवं ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था न हो।
- प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिदिन स्फिन्निंग भुनिश्वत की जावे।
- बाहर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल पहुँचने पर प्रारम्भिक दिनों में अन्य छात्रों से पर्याप्त दूरी भुनिश्वत की जावे।
- छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक मनोबल को सुरक्षा करने हेतु संस्थान द्वारा काउंसलर की व्यवस्था की जावे।
- विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थाए के स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के आगमन पर रोक लगाई जावे।
- किसी भी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर डिकिट्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु पृथक हॉल/तल की व्यवस्था भी भुनिश्वत की जावे।

मैस व्यवस्था :-

1. मह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक छान्नावास में मैस व्यवस्था अनिवार्य हो, ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन नहीं मिलाना पड़े।
2. मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
3. यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गदा पानी एक जगह एकत्रित न हो।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावे।
5. खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से हाथ दस्ताने/मास्क का उपयोग करें।
6. विद्यार्थियों की मैस में एट्री के समय अनिवार्य रूप से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित किया जावे।
7. सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8. कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे।
9. मैस में पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित की जावे।

कोविड-19 के संकरण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त / उच्च शिक्षण संस्थाएं/विद्यार्थी/स्टाफ उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय है। अतः सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों की उद्दरशः पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, राजभवन जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा।
6. राजित पत्रावली।


संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार
सामाजिक व्याध एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. ३/१, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ १(२)()राजा/सान्चाजिवि/२०/३१३

जयपुर, दिनांक २१.१.२०२१

आदेश

गृह (ग्रुप-१) विभाग के आदेश क्रमांक प.३३ (२)गृह-१/२०१९ दिनांक ०६.०१.२०२१ द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों प्रारम्भ करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण में विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में कक्ष ७वीं से १२वीं एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में आवासरत/अव्ययनतरत विद्यार्थियों हेतु दिनांक १८.०१.२०२१ से छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार कोरोना गाईड लाईन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाती है:-

आवासीय परिसर/शैक्षणिक परिसर में रखी जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश :-

१. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
२. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों को खोलने से पूर्व सम्पूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोई घर, बाशरूम, प्रयोगशाला, इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित कराया जावेगा।
३. कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहें यह सुनिश्चित किया जावेगा।
४. हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जावे।
५. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों हेतु कीटाणुनाशक/सेनेटाइजर/साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जावे।
६. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठने की दूरी ६ फीट रखी जावे। स्टाफ रूम, कार्यालय, परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी।
७. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के शयन कक्ष में दो बलंग की बीच की दूरी ६ फीट होगी।
८. विभागीय जिलाधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक का यह दायित्व होगा, की यह विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्टाफ को कोरोना वायरस सम्बन्धी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक करेंगे।
९. आवासीय परिसर में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मारक सम्बन्धी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
१०. आवासीय परिसर में स्वागत कक्ष, पानी पीने के स्थान, हाथ धोने के स्थान, खाना खाने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (मार्किंग सर्किल) किया जावेगा।
११. आवासीय परिसर में मारक पहनना अनिवार्य होगा। (नो मास्क, नो एन्ट्री की पालना आवश्यक होगी)
१२. आवासीय परिसर में किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नहीं की जा सकेगी।
१३. आवासीय परिसर में आने वाले सामान को बिना सेनेटाइजेशन के आने की अनुमति नहीं होगी।
१४. यह सुनिश्चित किया जावेगा, कि सभी विद्यार्थी ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है को छूने के उपरान्त साबुन व पानी से हाथ धोये एवं सेनेटाइजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जायेंगे।
१५. आवासीय संस्थान में विद्यार्थी अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।
१६. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय परिसर के मुख्य गेट से प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं कार्यरत स्टाफ के हाथ सेनेटाइज किये जाने के उपरान्त ही परिसर में प्रवेश हो सकेंगे।
१७. छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में कार्यरत चौकीदार भी नियमित रूप से हाथ धोने/सेनेटाइजेशन का ध्यान रखेंगे।

18. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त विकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
19. आवासीय परिसर में किसी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर विकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु पृथक हॉल/कक्ष की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

मैस व्यवस्था के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश :-

1. विद्यार्थियों को मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले खाने के बर्तनों को अन्य विद्यार्थियों से आदान-प्रदान नहीं कर सकेंगे।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जाये की गन्दा पानी एक जगह एकत्रित न हो।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावे।
5. भोजन तैयार करने वाले रसोईया एवं खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से मास्क/हाथ दस्ताने का उपयोग करेंगे।
6. विद्यार्थियों की मैस में एन्टी के समय अनिवार्य रूप से सावुन से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे।
7. कोरोना गहानारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पोषिटिक तत्वों की अनिवार्यता पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

उपर्युक्त आदेश सक्षम रूप से अनुमोदित है।

3

(ओ.पी. बुनकर)

क्रमांक : एफा 1(2)()राज्य/ सान्चाजावि/ 20/ ३११५ - २ नं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
प्रतिलिपि :- जयपुर, दिनांक १२/०१/२०२१

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एस.के.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री सहोदर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलवर्ट (समस्त)
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
7. अतिरिक्त निदेशक (राईस) मुख्यावास।
8. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को विभागीय वैय साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. उप निदेशक/ सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
11. प्राचार्य, आवासीय विद्यालय (राईस)
12. उप निदेशक (प्रधार), मुख्यावास।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

JM
12/01/2021

(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)